Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Vice-Chancellor No.F(110/17)VCS/RAJUVAS/RTI /2018/ Dated: 22-01-2018

राजीव बैराठी,
E-7, यूनिवर्सिटी क्वार्ट्स,
माया मिष्ठान भंडार के सामने
अशोक नगर, उदयपुर
313001 (राज.)
मो. 9414239548

रजि०-पत्र

विषयः—अपील सं. 110/2017 श्री राजीव बैराठी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 11.12.2017 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः— निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

27
22-1-18

प्रतिलिपिः—

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 11.12.2017 की प्रति पालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 110/2017

राजीव बैराठी
E-7, यूनिवर्सिटी क्वार्ट्स,
माया मिष्ठान भंडार के सामने
अशोक नगर, उदयपुर
313001 (राज.) **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर **प्रत्यर्थी**

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 17.11.2017
अपील में निर्णय की दिनांक 11.12.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक एफ.(908)/राजुवास/रजि./आर.टी.आई./2017/356 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा प्रेषित सूचना/प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 10.10.2017) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्रांक 356 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित सूचना का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
1.	Pre PG. M.V. Sc. Entrance Test 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017- Complete Test Booklet (any one series) (Qestion Paper) with Answer Key	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी विषय सामग्री को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 महीने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। अतः अभिलेख उपलब्ध नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाई जाना संभव नही है।

क्रमशः

अपीलार्थी द्वारा कुल सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्रांक 356 दिनांक 03.11.2017 द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत करते हुए 2017 की परीक्षा को 06 माह व्यतीत नहीं हुए होने के कारण वर्ष 2017 की Pre PG. M.V. Sc. Entrance Test Booklet with answer key उपलब्ध करवाने व परीक्षा संबंधी नियमों के अन्तर्गत शतप्रतिशत उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट नहीं की जाती है का उल्लेख करते हुए शतप्रतिशत उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दी गयी होने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी की Undertaking उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक F.(A-110/17)VCS/RAJUVAS/RTI/2017/385 दिनांक 25.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2017 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 04.12.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 07.12.2017) के द्वारा नियत सुनवाई तिथि को उपस्थित होने में असमर्थता दर्शाते हुए सूचना प्रदान करने का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी नियत सुनवाई दिनांक को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि "परीक्षा संबंधी विषय सामग्री को नष्ट किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षा संबंधी विषय सामग्री को परीक्षा परिणाम घोषित होने के छः माह बाद नष्ट कर दिये जाने का प्रावधान है व सत्र 2016–17 की Pre-PG परीक्षा का परिणाम दिनांक 10.01.2017 को घोषित कर दिया गया होने से अपीलार्थी/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 10.10.2017) प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही छः माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी थी व अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है व अपीलार्थी/आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर समुचित सूचना/प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया गया है व साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना के अन्तर्गत उपलब्ध सामग्री ही प्रदान करने का प्रावधान है व अभिलेख नष्ट कर दिया गया होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की undertaking सृजित कर उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है" का भी कथन करते हुए अपील खारीज करने की प्रार्थना की गई।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी उनके नियंत्रण में उपलब्ध सूचना ही प्रदान करने हेतु दायी है व जो सूचना उपलब्ध नहीं है उसे प्रदान करने हेतु लोक सूचना अधिकारी दायी नहीं है। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना विश्वविद्यालय के अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी/आवेदक को प्रदान किया जाना संभव नहीं होने से प्रदान नहीं की गयी होने में कोई त्रुटि नहीं की है व कार्यवाही विधि सम्मत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध सूचना ही प्रदान किये जाने का प्रावधान है, चाही गयी सूचना से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिया गया होने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी की undertaking सृजित कर उपलब्ध कराने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवंप्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

Attested

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर